

07/24.

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण से ठीकपाईयात  
 वादी का वाद पत्रावली में न्यायालय में ठीकपाईयात  
 करते हैं कारण अडि 09 R 03 में खारिज  
 किया जा चुका है। अतः TC का अर्थ कोई  
 भी नहीं होता है। बसलिए वादी का  
 प्राथम - पत्र 09 R 3 जांटी 0 में खारिज किया  
 प्रथम अग्रत सेकट दर्ज नम्बर से कात हो।  
 अदेश स्पष्ट न्यायालय में सुनाया गया।

उपरवण्ड अधिकारी  
 साँभर लेक